संख्या- 2/2023/398/33-3-2023-33/2020

प्रेषक,

मनोज कुमार सिंह,
अपर मुख्य सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

निदेशक,
पंचायती राज,
उ0प्र0 लखनऊ।

पंचायती राज अनुभाग-3 **लखनऊ : दिनांक 28 फरवरी, 2023**

विषय:- 15वें वित्त आयोग की संस्तुतियों के अन्तर्गत प्रदेश की पंचायतीराज संस्थाओं को वर्ष 2022-23 के लिए संस्तुत निर्दिष्ट अनुदान (टाइड ग्रांट) की द्वितीय किश्त के आवंटन के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक भारत सरकार के पत्र संख्या-F.-15(4) F.C.-XV-FCD/2020-25 दिनांक 17.02.2023, आपके पत्र संख्या-6/3689/2022-6/267/2022 दिनांक 23.02.2023 एवं वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-13/2022/बी-1-454/दस-2022-231/2022 दिनांक 07.06.2022 के संदर्भ में मुझे यह कहनें का निदेश हुआ है कि 15वें वित्त आयोग की संस्तुतियों के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2022-23 में प्रदेश की पंचायती राज संस्थाओं हेतु द्वितीय किश्त की निर्दिष्ट अनुदान (टाइड ग्रांट) की अवमुक्त कुल धनराशि रू. 2239.80 करोड़ (रू. बाइस सौ उनतालीस करोड़ अस्सी लाख मात्र) में से क्रमश: जिला पंचायत, क्षेत्र पंचायत एवं ग्राम पंचायतों को संलग्न फाण्ट के अनुसार निम्नवत शर्तों के अधीन श्री राज्यपाल व्यय हेतु सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

नियम व शर्ते / प्रतिबन्धों

(1) निवर्तन पर रखी जा रही धनराशि के व्यय के सम्बन्ध में वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-13/2022/बी-1-454/दस-2022-231/2022 दिनांक 07.06.2022 में उल्लिखित निर्देशों का कड़ाई से अक्षरश: अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(2) पन्द्रहवें केन्द्रीय वित्त आयोग की संस्तुतियों के अन्तर्गत पंचायतीराज संस्थाओं को संक्रमित की जा रही धनराशि का व्यय पन्द्रहवें वित्त आयोग की धनराशि का उपयोग किए जाने के संबंध में निर्गत शासनादेश संख्यां-30/2020/1594/33-3-2020-33/2020 दिनांक 29.06.2020 व अन्य मार्गदर्शी सिद्धान्तों में निहित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन किया जाएगा।

(3) पंचायतीराज संस्थायओं हेतु स्वीकृत की जा रही धनराशि कोषागार से आहरित कर किसी भी दशा में निदेशक, पंचायतीराज उ0प्र0 द्वारा बैंक खाते में नहीं रखी जायेगी।

(4) कोषागार से धनराशि आहरित कर सीधे पंचायतीराज संस्था ओं के खाते में जमा की जायेगी। उक्त प्रक्रिया पी.एफ.एम.एस. के सम्बन्ध में समय-समय पर निर्गत शासनादेशों के अनुसार किया जायेगा।

(5) निदेशक, पंचायतीराज उ0प्र0 द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि पंचायतीराज संस्थाओं का बैंक खाता, आई.एफ.एस.सी. कोड, जिसमें धनराशि जमा की जा रही है, वह सही है।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

(6) धनराशि के आहरण की सूचना बाउचर संख्या एवं दिनांक सहित पंचायतीराज अनुभाग-3, उ0प्र0 शासन को उपलब्ध कराई जायेगी।

(7) स्वीकृत की जा रही धनराशि का उपयोग केवल उन्हीं प्रयोजनों के लिए किया जायेगा जिसके लिए धनराशि दी जा रही है। इस धनराशि से किसी प्रकार का व्यावर्तन/समायोजन अनुमन्य नहीं होगा।

(8) उक्तानुसार वित्तीय स्वीकृति धनराशि को निर्गत करने के पूर्व जनपदवार धनराशि की उपलब्धत सुनिश्चित कर लिया जायेगा। स्वीकृत धनराशि का व्यय/ उपयोग उसी प्रयोजन हेतु किया जाएगा जिसके लिए यह स्वीकृत की जा रही है। इससे इतर व्यय वित्तीय अनियमितता होगी, जिसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्वव निदेशक, पंचायतीराज उ0प्र0 लखनऊ का होगा।

(9) वित्तीय स्वीकृत की धनराशि का आवंटन (एलाटमेन्ट) मात्र ही किसी प्रकार के व्यय करने का प्राधिकार नहीं देता है। जिन मामलों में उ0प्र0 बजट मैनुअल और फाइनेन्शियल हैण्ड बुक के नियमों तथा अन्य स्थायी आदेशों के अन्तर्गत राज्य सरकार/केन्द्र सरकार अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति प्राप्त की जानी आवश्यक हो; उन मामलों में व्यय करने के पूर्व ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाए।

(10) शासकीय व्यय में मितव्यियता नितान्त आवश्यक है। अत: व्यय करते समय मितव्ययिता के संबंध में वित्त संसाधन (केन्द्रीय सहायता) अनुभाग द्वारा जारी शासनादेश संख्या-4/2018/ आर0जी0-1021/ दस/ 2018-मित0-1/2017 दिनांक 18.09.2018 विशेष रूप से पालन किया जायेगा।

(11) वित्तीय स्वीकृति का आदेश बजट में जनपदवार उपलब्ध0 धनराशि की सीमा के उपर कदापि नहीं निर्गत किया जायेगा। जनपदवार फाण्ट के सही होने का दायित्व निदेशक,पंचायतीराज का होगा। धनराशि का आहरण/ व्यय में भारत सरकार की गाइड लाइन/ दिशा-निर्देश का अनुपालन अक्षरश: सुनिश्चित किया जायेगा।

2- इस संबंध में होने वाला व्यय

लेखाशीर्ष: 2515001960500 (पन्द्रहवां वित्त आयोग द्वारा संस्तुत अनुदान)

	अनुदान संख्या	**लेखा शीर्षक**	**मानक मद**	**स्वीकृत धनराशि**
1	014	2515001960500 पन्द्रहवां वित्त आयोग द्वारा संस्तुत अनुदान	20 सहायता अनुदान - सामान्य (गैर वेतन)	3,35,97,00,000 (रुपये तीन अरब पैंतीस करोड़ सत्तानवे लाख मात्र)
	कुल			**3,35,97,00,000 (रुपये तीन अरब पैंतीस करोड़ सत्तानवे लाख मात्र)**

लेखाशीर्ष: 2515001970500 (पन्द्रहवां वित्त आयोग द्वारा संस्तुत अनुदान)

	अनुदान संख्या	**लेखा शीर्षक**	**मानक मद**	**स्वीकृत धनराशि**

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

1	014	2515001970500 पन्द्रहवां वित्त आयोग द्वारा संस्तुत अनुदान	20 सहायता अनुदान - सामान्य (गैर वेतन)	3,35,97,00,000 (रुपये तीन अरब पैंतीस करोड़ सत्तानवे लाख मात्र)
	कुल			**3,35,97,00,000** **(रुपये तीन अरब पैंतीस करोड़ सत्तानवे लाख मात्र)**

लेखाशीर्ष: 2515001980500 (पन्द्रहवां वित्त आयोग द्वारा संस्तुत अनुदान)

	अनुदान संख्या	**लेखा शीर्षक**	**मानक मद**	**स्वीकृत धनराशि**
1	014	2515001980500 पन्द्रहवां वित्त आयोग द्वारा संस्तुत अनुदान	20 सहायता अनुदान - सामान्य (गैर वेतन)	15,67,86,00,000 (रुपये पंद्रह अरब सड़सठ करोड़ छियासी लाख मात्र)
	कुल			**15,67,86,00,000** **(रुपये पंद्रह अरब सड़सठ करोड़ छियासी लाख मात्र)**
महायोग		22,39,80,00,000 (रुपये बाईस अरब उनतालीस करोड़ अस्सी लाख मात्र)		

के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त (आय - व्ययक) अनुभाग - 1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या - 13 / 2022/ बी-1-454/दस-2022-231/2022, दिनांक- 07-जून 2022 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,

(मनोज कुमार सिंह)
अपर मुख्य सचिव।

संख्या व दिनांक:- तदैव।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार,(लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश प्रयागराज।
2- महालेखाकार, (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, लखनऊ एवं प्रयागराज।
3- निदेशक, स्थानीय निधि, लेखा परीक्षा विभाग, उ0प्र0 प्रयागराज।
4- समस्त मण्डलायुक्त।
5- समस्त जिलाधिकारी, उ0प्र0 ।
6- समस्त मुख्य विकास अधिकारी, उ0प्र0।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।
http://shasanadesh.up.gov.in

7- उप निदेशक, जिला पंचायत अनुश्रवण कोष्ठक, उ0प्र0 ।
8- समस्त अपर मुख्य अधिकारी, जिला पंचायतें, उ0प्र0।
9- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन लखनउ।
10- संबंधित बैंकों को।
11- निदेशक,पंचायतीराज,लेखा उ0प्र0।
12- वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-2/ वित्त (आय- व्यंयक) अनुभाग-2
13- वित्त संसाधन (केन्द्री य सहायता) अनुभाग ।
14- वित्त संसाधन (वित्त आयोग) अनुभाग।
15- समस्त जिला पंचायतराज अधिकारी, उ0प्र0।
16- समस्त खण्ड विकास अधिकारी, उ0प्र0।
17- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(गिरिजेश कुमार)
उप सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

शासनादेश संख्या- 2/2023/398/33-3-2023-33/2020 दिनांक 28 फरवरी, 2023 का संलग्नक

(धनराशि रू. में)

क्र.स	जनपद	निर्दिष्ट अनुदान की द्वितीय किस्त वर्ष 2022-23			
		जिला पंचायत की धनराशि	क्षेत्र पंचायत की धनराशि	ग्राम पंचायत की धनराशि	योग(3+4+5)
1	2	3	4	5	6
1	आगरा	56312154	56312154	262790051	375414359
2	अलीगढ़	50746448	50746448	236816757	338309653
3	अम्बेडकर नगर	44397143	44397143	207186666	295980952
4	अमेठी	40307682	40307682	188102515	268717879
5	अमरोहा	29267064	29267064	136579631	195113759
6	औरैया	26110458	26110458	121848802	174069718
7	अयोध्या	42758079	42758079	199537701	285053859
8	आजमगढ़	88641780	88641780	413661639	590945199
9	बागपत	21751391	21751391	101506489	145009271
10	बहराइच	69911563	69911563	326253962	466077088
11	बलिया	62035673	62035673	289499807	413571153
12	बलरामपुर	43899057	43899057	204862267	292660381
13	बांदा	36203258	36203258	168948535	241355051
14	बाराबंकी	63039413	63039413	294183926	420262752
15	बरेली	65555151	65555151	305924038	437034340
16	बस्ती	47033386	47033386	219489133	313555905
17	भदोही	27930309	27930309	130341444	186202062
18	बिजनौर	61938605	61938605	289046822	412924032
19	बदायू	56544246	56544246	263873146	376961638

http://shasanadesh.up.gov.in

20	बुलन्दशहर	57929696	57929696	270338581	386197973
21	चन्दौली	38187062	38187062	178206288	254580412
22	चित्रकूट	21477390	21477390	100227819	143182599
23	देवरिया	55406241	55406241	258562458	369374940
24	एटा	33554856	33554856	156589328	223699040
25	इटावा	27592995	27592995	128767312	183953302
26	फर्रूखाबाद	32414060	32414060	151265612	216093732
27	फतेहपुर	50081777	50081777	233714959	333878513
28	फिरोजाबाद	36371652	36371652	169734375	242477679
29	गौतमबुद्धनगर	7343606	7343606	34270161	48957373
30	गाजियाबाद	12589984	12589984	58753256	83933224
31	गाजीपुर	72259155	72259155	337209388	481727698
32	गोण्डा	71281090	71281090	332645087	475207267
33	गोरखपुर	71980368	71980368	335908383	479869119
34	हमीरपुर	23110242	23110242	107847795	154068279
35	हापुड़	20462075	20462075	95489685	136413835
36	हरदोई	80891741	80891741	377494793	539278275
37	हाथरस	26562634	26562634	123958958	177084226
38	जालौन	26707795	26707795	124636376	178051966
39	जौनपुर	87017855	87017855	406083323	580119033
40	झांसी	30990495	30990495	144622311	206603301
41	कन्नौज	30454702	30454702	142121941	203031345
42	कानपुर देहात	35265154	35265154	164570719	235101027
43	कानपुर नगर	35684772	35684772	166528936	237898480
44	कासगंज	25968630	25968630	121186940	173124200
45	कौशाम्बी	28862337	28862337	134690906	192415580
46	खीरी	81064796	81064796	378302380	540431972
47	कुशीनगर	65029389	65029389	303470482	433529260

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

48	ललितपुर	28223230	28223230	131708409	188154869
49	लखनऊ	28116921	28116921	131212296	187446138
50	महाराजगंज	51025794	51025794	238120372	340171960
51	महोबा	18819575	18819575	87824685	125463835
52	मैनपुरी	34648615	34648615	161693537	230990767
53	मथुरा	37218042	37218042	173684196	248120280
54	मऊ	33513001	33513001	156394007	223420009
55	मेरठ	36527162	36527162	170460088	243514412
56	मिर्जापुर	50054722	50054722	233588704	333698148
57	मुरादाबाद	41548164	41548164	193891433	276987761
58	मुजफ्फरनगर	44446920	44446920	207418962	296312802
59	पीलीभीत	38995138	38995138	181977313	259967589
60	प्रतापगढ़	60257590	60257590	281202085	401717265
61	प्रयागराज	92259422	92259422	430543984	615062828
62	रायबरेली	56087217	56087217	261740346	373914780
63	रामपुर	37746615	37746615	176150872	251644102
64	सहारनपुर	53092592	53092592	247765428	353950612
65	संम्भल	38486695	38486695	179604577	256577967
66	सन्त कबीर नगर	32001604	32001604	149340818	213344026
67	शाहजहापुर	53110548	53110548	247849224	354070320
68	शामली	20422309	20422309	95304110	136148728
69	श्रावस्ती	23787385	23787385	111007797	158582567
70	सिद्धार्थ नगर	49185584	49185584	229532726	327903894
71	सीतापुर	87623282	87623282	408908648	584155212
72	सोनभद्र	41147460	41147460	192021480	274316400
73	सुल्तानपुर	49619612	49619612	231558189	330797413
74	उन्नाव	58203798	58203798	271617725	388025321

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

75	वाराणसी	42605594	42605594	198826106	284037294
	योग-	**3359700000**	**3359700000**	**15678600000**	**22398000000**

रू. 2239.80 करोड़ (रू. बाइस सौ उनतालीस करोड़ अस्सी लाख मात्र)

(मनोज कुमार सिंह)
अपर मुख्य सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।